पर्चा डिक्री

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

ण संख्या –56 / 2025

ान :

मीना पत्नी विकास कुमार जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम्

थ्वी पुत्र मातराम
कास कुमार पुत्र पृथ्वी
शोक पुत्र पृथ्वी
ंजू पुत्री पृथ्वी
न्दू पत्नी रामरतन पुत्र

जाति विश्नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
पृथ्वी जाति विश्नोई निवासी जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महावीर वर्मा :–वादीगण
2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह :–प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 21/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महावीर वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 2 एम. के. एस बी के खाता सं0 50 / 48 मे से दर्ज प्रतिवादी सं० 1 के नाम की आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 2 एम. के. एस बी के खाता सं0 50 / 48 प्रतिवादी सं० 1 पृथ्वी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner